सेवामें,

श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन॰आई॰एक्ट कैसेस) क्र॰स॰-1

उदयपुर (राज॰)

अरविन्द लखारा

बनाम

कविश शर्मा

म्॰न॰

/2019 रै॰फौ॰

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा - 437 जा॰फ़ौ॰

उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त काविश शर्मा पिता श्री अशोक कुमार शर्मा , उम्र बालिग़, निवासी- राडाजी चौराहा, उदयपुर (राज॰) की और से सविनय निवेदन है-

- 1- यह की प्रार्थी / अभियुक्त का उक्त प्रकरण आप न्यायालय में विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 15-12-2019 को नियत है |
- 2- यह की प्रार्थी / अभियुक्त की बीमार हो जाने के कारण विगत पेशी पर प्रार्थी / अभियुक्त उपस्थित नहीं हो सका जिस कारण से आप श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त का जमानती वारंट/गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया तथा आज प्रार्थी / अभियुक्त स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा है \
- 3- यह की प्रार्थी / अभियुक्त की अनुपस्थिति का वाजिब एवं उचित कारण रहा है तथा आयंदा भविष्य में आप न्यायालय के आदेशानुसार बराबर पेशियों पर हाजिर अदालत रहेगा |
- 4- यह की प्रार्थी / अभियुक्त आप न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है |

अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है की की प्रार्थी / अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश फरमावे |

उदयपुर

दिनांक

हस्ताक्षर